ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की दिनांक 18.03.2017 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की 8वीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थित :

1.	प्रो0 ख़ान मसऊद अहमद, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ज़ाहिद हुसैन खान	सदस्य
3.	श्री योगेश मोहन जी गुप्ता	सदस्य
4.	प्रो0 वी0डी0 मिश्रा	सदस्य
5.	श्री अजमल हुसैन जैदी	सदस्य
6.	श्री एस0के0 शुक्ल, कुल सचिव	सचिव

कार्यपरिषद की बैठक में श्री भानु प्रताप सिंह, वित्त अधिकारी भी उपस्थिति रहे। माननीय न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन महोदय (सदस्य, न्यायिक) के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई कि वह अन्य व्यवस्तताओं के कारण बैठक में सम्मिलित नहीं हो पायेंगे।

कार्यवाही

मद संख्या–1

दिनांक 24.11.2016 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद् की 7वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने दिनांक 24.11.2016 को सम्पन्न हुई अपनी 7वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

मद संख्या–2

दिनांक 24.11.2016 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद् की 7वीं बैठक में लिये गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने दिनांक 24.11.2016 को सम्पन्न हुई अपनी 7वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त किया।

Sushukla

मद संख्या–3

माननीय श्री राज्यपाल/विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 13.06.2014 के संदर्भ में कार्यपरिषद् द्वारा अपनी बैठक दिनांक 18.01.2016 से गठित जांच समिति की रिपोर्ट को प्राप्त करना तथा उस पर विचार करना।

निर्णय–

माननीय श्री राज्यपाल/विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्याः ई–4997/जी0एस0 दिनांक 13.06.2014 के संदर्भ में कार्यपरिषद् द्वारा अपनी बैठक दिनांक 18.01.2016 से गठित निम्नलिखित त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट को कार्यपरिषद ने प्राप्त किया :–

(1) मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एस0के0 त्रिपाठी – अध्यक्ष

(2) श्री एन0एस0 कुशवाहा, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 – सदस्य

(3) डॉ0 अशोक मित्तल, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,अलीगढ़। – सदस्य

कार्यपरिषद ने जांच समिति की प्रस्तुत आख्या के सम्यक् परीशीलनोपरान्त तथा सम्यक विचार–विमर्श उपरान्त उक्त जांच आख्या के **बिन्दु संख्या–160 (डॉ0 फख़्रे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर, उर्दू से सम्बन्धित), बिन्दु संख्या–161 (डॉ0 अब्दुल हफीज, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी से सम्बन्धित) एवं बिन्दु संख्या–162 (डॉ0 माहरूख मिर्ज़ा, प्रोफेसर, वाणिज्य से सम्बन्धित)** पर अंकित निष्कर्षों तथा **बिन्दु संख्या–163 पर अंकित सूची के क्रमांक(v) (डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी से सम्बन्धित)** व उक्त बिन्दुओं पर अंकित शिक्षको से सम्बन्धित विवेचना तथा निष्कर्षों को छोड़कर शेष जांच आख्या तथा उसके निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि विषयाधीन प्रकरण में किसी अग्रेत्तर कार्यवाही के पूर्व जांच समिति की रिपोर्ट पर माननीय श्री राज्यपाल/विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय का मार्गदर्शन (Guidance) तथा उनकी सहमति (Concurrence) प्राप्त कर ली जाए।

यह निर्णय लेते समय कार्यपरिषद ने नोट किया कि डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी के सम्बन्ध में जांच आख्या के पृष्ठ 74–75 पर

अंकित समिति की परीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या–126 तथा पृष्ठ 94–95 पर अंकित अर्ह/अनर्ह की सूची विषयक बिन्दु संख्या–163 [क्रमांक(v)] में कदाचित टंकण त्रुटि के कारण विरोधाभाष हो रहा है जिसे जांच समिति से स्पष्ट/शुद्ध कराकर ही शुद्धि पत्र के साथ जांच आख्या माननीय श्री राज्यपाल/विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय को सहमति (Concurrence) व मार्गदर्शन (Guidance) हेतु प्रेषित की जाये।

जांच आख्या के **बिन्दु संख्या–160 (डॉ0 फख़्रे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर, उर्दू से सम्बन्धित), बिन्दु संख्या–161 (डॉ0 अब्दुल हफीज, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी से सम्बन्धित) एवं बिन्दु संख्या–162 (डॉ0 माहरूख मिर्ज़ा, प्रोफेसर, वाणिज्य से सम्बन्धित)** पर अंकित निष्कार्षों तथा **बिन्दु संख्या–163 पर अंकित सूची के क्रमांक(v) (डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी से सम्बन्धित)** से सम्बन्धित शिक्षकों के सम्बन्ध में कार्यपरिषद ने दो विषय विशेषज्ञों तथा एक विधि विशेषज्ञ की त्रिसदस्यीय समिति (प्रत्येक विषय के शिक्षक के सम्बन्ध में पृथक–पृथक) गठित करने का निर्णय लेते हुए विषय विशेषज्ञों/विधि विशेषज्ञ के नामांकन हेतु कुलपति को अधिकृत करने का भी निर्णय लिया।

उक्त त्रिसदस्यीय समिति सम्बन्धित शिक्षकों के प्रकरण को Re-examine करते हुए अपनी सुस्पष्ट, विधिसम्मत, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) निर्धारित नियमों/विधानों के आलोक में तथा प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 12.02.2017 का संज्ञान लेते हुए देगी। कार्यपरिषद ने अग्रेत्तर यह भी निर्देशित किया कि समितियाँ इस प्रकार से सुस्पष्ट, विधिसम्मत, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) दे जो कि In the eyes of law justified and sustainable हो।

साथ ही साथ कार्यपरिषद ने डॉ0 मसऊद आलम, प्रोफसेर अरबी विभाग (जांच आख्या क्रमांक–159), जिनका प्रकरण जांच समिति द्वारा विश्वविद्यालय को "For the Consideration and appropriate decision of University in Accordance with the Law" के अनुसार निर्णय लेने हेतु प्रेषित (Remand) किया है, के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि प्रो0 मसऊद आलम का कार्य/प्रकाशन आदि जैसा कि उन्होंने अपने आवेदन पत्र में क्लेम किया है, उत्कृष्ट कार्य (Eminent Work)

की श्रेणी मे आता है या नही, इस बिन्दु विशेष पर आख्या देने के लिए दो विषय विशेषज्ञों तथा एक विधि विशेषज्ञ की त्रिसदस्यीय समिति गठित की जाये। समिति गठित करने के लिए कुलपति को कार्यपरिषद ने अधिकृत किया। अग्रेत्तर कार्यपरिषद ने यह भी निर्देशित किया कि समिति अपनी सुस्पष्ट विधिसम्मत्, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) दे जो कि In the eyes of law justified and sustainable हो।

मद संख्या–4

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) की धारा 12(2)क के अंतर्गत नये कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली खोज समिति में कार्यपरिषद् द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से प्रो0 डॉ0 सैयद एहतेशाम हसनैन जो कि वर्तमान में दिनांक 02 सितम्बर 2016 से कुलपति, जामिया हमदर्द (हमदर्द विश्वविद्यालय), बदरपुर रोड, निकट बतरा हास्पिटल, हमदर्द नगर, नई दिल्ली के पद पर कार्यरत हैं, का निर्वाचन खोज समिति के सदस्य के लिये किया।

मद संख्या–5

विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों की बोर्ड आफ स्टडीज की बैठक के मिनट्स पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) की धारा 13(6) के अन्तर्गत प्रदत्त अनुमोदन की सूचना प्राप्त करना तथा उसका अनुमोदन।

निर्णय–

विश्वविद्यालय में फैकल्टी बोर्ड तथा विद्यापरिषद गठित नही हो पाने की परिस्थितियों को नोट करते हुए कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों की बोर्ड आफ स्टडीज की बैठक के मिनट्स पर कुलपति द्वारा कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) की धारा 13(6) के अन्तर्गत प्रदत्त अनुमोदन की सूचना प्राप्त की

तथा कार्योत्तर अनुमोदन किया। अग्रेत्तर जब तक विधिवत फैकल्टी बोर्ड तथा विद्यापरिषद गठित नही होती है तब तक विभागीय बोर्ड आफ स्टडीज की बैठकों के निर्णयों पर अनुमोदन/स्वीकृति आदि प्रदान करने हेतु कुलपति को अधिकृत करने का भी निर्णय कार्यपरिषद ने लिया।

मद संख्या–6

विश्वविद्यालय की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 का अवलोकन करना तथा विचार करना।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 का अवलोकन किया तथा सीमित संसाधनों में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

साथ ही साथ कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जनरल्स में गुणवत्तापरक रिसर्च पेपर लिखने के लिए, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार हो, निदेशित किये जाने का निर्णय लिया। शिक्षकों द्वारा प्रकाशित रिसर्च पेपरों का पूर्ण विवरण प्रत्येक 06 माह में कार्यपरिषद की बैठक आहूत कर उसके समक्ष शिक्षकों की इस दिशा में प्रगति की समीक्षा तथा निर्णय के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

मद संख्या–7

दिनांक 27 मार्च 2017 को प्रस्तावित विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह की सूचना प्राप्त करना।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह हेतु माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित दिनांक 27 मार्च 2017 की तिथि की सूचना को प्राप्त किया।

उक्त के अतिरिक्त कार्यपरिषद ने विद्यार्थियों को प्रदान किये जाने वाले पदकों के निर्धारण के प्रकरण में कार्यसूची के पृष्ठ संख्या–117 से प्रस्तुत पदकों को प्रतिवर्ष दीक्षान्त समारोह में दिये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यपरिषद के माननीय सदस्य श्री योगेश मोहन गुप्ता जी ने प्रथम दीक्षान्त समारोह में पदक प्राप्त करने वाली समस्त छात्राओं को समारोह में रू02,000/– मात्र की नकद प्रोत्साहन धनराशि स्वयं की ओर से दिये जाने का प्रस्ताव दिया जिसे कार्यपरिषद ने सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय सदस्य श्री गुप्ता के प्रति आभार एवं साधुवाद व्यक्त किया।

मद संख्या–8

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य बिन्दु पर विचार।

मद संख्या–8.1

विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के संशोधित आलेख्य पर अनुमोदन प्रदान करने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद की 07वीं बैठक दिनांक 24 नवम्बर, 2016 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के आलेख्य के पुनरावलोकन हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट तथा संशोधित आलेख्य प्रस्तुत किया। कार्यपरिषद ने संशोधित अध्यादेश के आलेख्य को विहित प्रक्रिया अनुसार शासन को निर्गमन हेतु भेजने का निर्णय लिया।

मद संख्या–8.2

विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में किसी महानुभाव द्वारा मेधावी विद्यार्थियों अथवा अन्य किसी कारण से कोई मेडल स्वयं के किसी पुनीत उद्देश्य हेतु स्थापित कराने के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना प्राप्त करना तथा उसका अनुमोदन करना।

निर्णय–

विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह दिनांक 27 मार्च, 2017 में यदि कोई महानुभाव किसी विद्यार्थी/विद्यार्थियों की श्रेणी अथवा किसी पाठ्यक्रम के मेधावी विद्यार्थियो अथवा अन्य किसी कारण से कोई मेडल स्वयं के किसी पुनीत उद्देश्य हेतु स्थापित करना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इच्छुक सम्बन्धित व्यक्ति रूपया पांच लाख के Endowment Fund का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय के पक्ष में लखनऊ में देय हो, जमा करके तथा पदक दिये जाने की शर्तों (Ordinances) के प्रस्ताव के साथ विश्वविद्यालय में प्रायोजित मेडल स्थापित करा सकते हैं।

कार्यपरिषद ने कुलपति के उपरोक्त निर्णय पर अपनी सहमति प्रदान की तथा आगामी वर्षों के लिए भी उक्त व्यवस्था के अनुसार प्रायोजित मेडल की स्थापना हेतु कार्यवाही करने के लिए स्वीकृति दी।

मद संख्या–8.3

डॉ0 आकांक्षा शुक्ला के प्रकरण पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद के माननीय सदस्य श्री योगेश मोहन जी गुप्ता द्वारा डॉ0 आकांक्षा शुक्ला के प्रकरण पर विचार करने का अनुरोध किया गया। कार्यपरिषद ने डॉ0 आकांक्षा शुक्ला के प्रकरण की Fact Finding Report प्रस्तुत करने हेतु दो विषय विशेषज्ञों तथा एक विधि विशेषज्ञ की त्रिसदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लेते हुए विषय विशेषज्ञों/विधि विशेषज्ञ के नामांकन हेतु कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया। उक्त त्रिसदस्यीय समिति सम्बन्धित प्रकरण पर पूर्व की रिपोर्ट/निर्णय आदि को संज्ञान में रखते हुए अपनी सुस्पष्ट, विधिसम्मत, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) निर्धारित नियमों/विधानों के आलोक में देगी, जो कि In the eyes of law justified and sustainable हो।

पूरक कार्यसूची

मद संख्या–1

विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की बैलेंस शीट निर्माण की प्रगति की सूचना।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की बैलेंस शीट निर्माण की प्रगति की सूचना प्राप्त की तथा अपेक्षा की कि इन्हें वित्त समिति से अनुमोदित कराकर वित्त समिति के निर्णय को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या–2

श्रीमती तत्हीर फात्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृहविज्ञान के वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने श्रीमती तत्हीर फात्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृहविज्ञान के वेतन संरक्षण हेतु शासनादेश संख्या–3741/पन्द्रह(15)–41(1)/80 दिनांक 20 जून, 1989 की व्यवस्थानुसार संकल्प पारित करते हुए उनके वेतन संरक्षण का प्रकरण शासन को कार्यपरिषद की संस्तुति सहित भेजने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव/सचिव, कार्यपरिषद

(प्रो0 ख़ान मसऊद अहमद)
कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद